न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश, अनु0 जाति/
अनु0 जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम , कानपुर देहात।
पीठासनी अधिकारी –(अखिलेश कुमार पाठक) (उच्चतर न्यायिक सेवा)
UP05933

पप्पी कोरी बनाम नरेन्द्र कुमार शुक्ला आदि
मुकदमा अपराध संख्या–163/2018
थाना–मूसानगर, जिला कानपुर देहात।

दिनांक 12.02.202

पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली वास्ते तलबी आदेश में नियत है। जिसपर परिवादी अधिवक्ता को दिनांक 10.2.2021 को सुना गया। पत्रावली देखा। अवलोकन से विदित कि परिवादिनी/आवेदिका की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा –156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता विपक्षीगण नरेन्द्र कुमार शुक्ला आदि के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने एवं विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया जिसपर न्यायालय के आदेश से मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा विवेचना के पश्चात अंतिम आख्या प्रस्तुत किया गया जिसपर वादिनी मुकदमा को आपत्ति हेतु आहूत किया गया । वादिनी द्वारा अन्तिम आख्या पर प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे परिवाद के रूप में दर्ज कर जाँच की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

संक्षेप में कथानक यह है कि प्रार्थिनी/वादिनी श्रीमती पप्पी कोरी ने विपक्षीगण के विरूद्ध धारा 156(3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र इन अभिकथनों के साथ दिया कि प्रार्थिनी श्रीमती पप्पी कोरी पत्नी गौरीशंकर ग्राम मूसानगर बांगर, कानपुर–देहात की निवासिनी है। वह अनुसूचित जाति की महिला है। उसकी चाची श्रीमती किरन , देवरानी श्रीमती शिखा चारों महिलायें साथ मिलकर माँ मुक्तेश्वरी मन्दिर प्रांगण में विसातखाने (कास्मेटिक) की दुकान विगत कई वर्षों से लगाती चली आ रही है। प्रार्थिनी की शादी के पूर्व उसके पति तथा देवर , चाचा उक्त स्थान पर दुकान लगाते थे। क्षेत्र के दबंग व शेरेपुस्त तथा आपराधिक किस्म के नरेन्द्र कुमार शुक्ला पुत्र गंगानरायन शुक्ला , अशोक द्विवेदी, प्रमोद द्विवेदी पुत्रगण गणेश शंकर, शिवशंकर अग्निहोत्री पुत्र छुट्टू महाराज, विवेक शुक्ला पुत्र अज्ञात, अनूप अवस्थी पुत्र बीनू अवस्थी, अवधेश द्विवेदी पुत्र गंगा प्रसाद द्विवेदी में से कोई न कोई प्रार्थिनी व उसकी चाची , देवरानी की दुकान पर अश्लील छींटाकशी करते रहते हैं तथा यह कहते थे कि तुम लोगों के आने से मन्दिर प्रांगण अपवित्र हो जाता है। दिनांक 17.01.2017 को नरेन्द्र शुकला अपने उपरोक्त साथियों के साथ प्रार्थिनी की दुकान पर शराब के अधिक नशे में आये तथा प्रार्थिनी का सामान फेंकने लगे। प्रार्थिनी व सभी साथी दुकानदारों ने उक्त लोगों से पैर पकड़कर माफी माँगी तो उपरोक्त सभी एक स्वर में कहा कि आप चारों व्यक्ति से प्रति दुकान से एक हजार रूपये प्रति महीना रंगदारी चाहिए। प्रार्थिनी अपनी चारों महिला दुकानों के साथ थाना मूसानगर आयी तथा उक्त लोगों की शिकायत की तो थाना पुलिस ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि जैसा उक्त लोग कहते हैं वैसा ही करो। प्रार्थिनी व उनके साथी दुकानदार उपरोक्त लोगों को एक हजार रूपये महीना देने लगे। दिनांक 18.01.2018 को

उपरोक्त लोग नशे की हालत में आये प्रार्थिनी व उसके साथी दुकानदारों का सामान फेंकने लगे और सभी ने कहा कि तुम लोगों के कारण मन्दिर अछूत हो रहा है। यद मन्दिर प्रांगण से दुकान नवरात्रि से नहीं हटायी तो तुम सब लोगों की दुकानों का सामान फेंक देंगे। दिनांक 18.03.2018 को उपरोक्त सभी लोग प्रार्थिनी व उसकी साथी दुकानदारों की दुकान पर आये। सभी ने एक स्वर में कहा कि साली कोरिन तेरी इतनी औकात हो गयी कि तून मेरे आदेश का पालन नहीं किया। उपरोक्त सभी लोगों ने माँ –बहन की भद्दी–भद्दी गालियाँ देते हुए कहा कि साली आज हम तुमको सबक सिखा देंगे तो सब ने सभी महिला दुकानदारों का सामान फेंकने लगे तो सभी महिला दुकानदारों ने सामान फेंकने से मना किया तो उपरोक्त लोगों ने महिला दुकानदारों को पकड़कर उनके साथ अश्लील छेडछाड़ करते हुए मारपीट करने लगे तथा सारा सामान तोड़ –फोड़ कर फेंक दिया और जाते समय धमकी दी कि कहीं शिकायत की तो तुझे व तेरे परिवार को जान से मार देंगे। क्षेत्र के बहुत से लोगों के आ जाने पर प्रार्थिनी व उनकी महिला दुकानदारों की जान बच सकी। प्रार्थिनी सभी दुकानदारों ने उक्त घटना की सूचना थाना मूसानगर में की परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिनांक 19.03.2018 को पुलिस अधीक्षक, कानपुर–देहात को प्रार्थनापत्र दिया तिाा दिनांक 22.03.2018 को अन्य उच्चाधिकारियों को रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थनापत्र दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः सम्बन्धित थानाध्यक्ष को मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने हेतु आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की गयी जिसपर न्यायालय द्वारा मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने हेतु सम्बन्धित थाने को निर्देशित किया गया। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मामला की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना मूसानगर , कानपुर–देहात पर मु0 अ 0 सं0–163 सन् 2018, धारा 147, 323, 504, 506, 354, 384, 427 भा0 द 0 सं0 व धारा 3(1)(K) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम अभियुक्तगण नरेन्द्र कुमार शुक्ला, अशोक कुमार द्विवेदी, प्रमोद कुमार द्विवेदी, शिवशंकर अग्निहोत्री, विवेक कुमार शुक्ला, अवधेश द्विवेदी तथा अनूप अवस्थी के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ जिसमें विवेचक द्वारा मामले में विवेचनोपरान्त अन्तिम रिपोर्ट संख्या –52/2018 इस आधार पर प्रेषित की गयी कि अभियुक्तगण के द्वारा कोई घटना कारित होना नहीं पाया गया जिस पर प्रार्थिनी /वादिनी को प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल किये जाने हेतु नोटिस जारी की गयी। न्यायालय के आदेश से पोटेस्ट प्रार्थना पत्र को परिवाद रूप में दर्ज किया गया।

परिवादिनी मुकदमा ने स्वयं को धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता में एवं धारा–202 दण्ड प्रक्रिया संहिता में पी.डब्लू–1 के रूप में शिखा, पी. डब्लू–2 के रूप में श्रीमती किरन एवं परिवादी संख्या–3 जयकरन दास को साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है।

मैंनें प्रार्थिनी /वादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

परिवादिनी मुकदमा ने अपने साक्ष्य अंतर्गत धारा –200 दण्ड प्रक्रिया संहिता में कथन किया है कि घटना दिनांक 18.03.2018 की है। दिन के दस बजे का समय था। मैं कस्टमैटिक के सामन की दुकान मुक्तेश्वर मंदिर के अंदर लगाती हूं। वहाँ पर अन्य दुकानें भी लगती है। घटना

वाले दिन जब मैं दुकान लगायी थी तो मेरे साथ नरेन्द्र शुक्ला, अशोक, प्रमोद, शिवशंकर, विवेक , अनुप ने छेड़खानी की थी। अशोक की मिठाई की दुकान है। नरेन्द्र शुक्ला मंदिर की कमेटी का अध्यक्ष है तथा शेष सदस्य है, कहते है कि साली कोरिन तेरे इस मंदिर में दुकान लगाने से मंदिर अशुद्ध होता है। मेरी दुकान के आगे पर्दा लगाकर दुकान में आना जाना बंद कर दिया था। मैंने विरोध किया तो इन्होंने छेडखानी की । इस प्रकार साक्षी ने अपने बयान में परिवाद पत्र के कथनकों का समर्थन किया है।

परिवादिनी मुकदमा की ओर से परिवादिनी साक्षी संख्या –1 शिखा देवी को धारा–202 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रस्तुत किया है। उक्त साक्षी ने शपथ पूर्वक कथन किया है दिनांक 18.03.2018 को नरेन्द्र कुमार शुक्ला, अशोक कुमार द्विवेदी, प्रमोद कुमार द्विवेदी, शिव शंकर, विवेक कुमार, अवधेश, अनुप अवस्थी, कृष्णा देवी,ने भद्दी भद्दी गालियाँ दी। गाली देने से मना किया तो सभी ने कहा कि साली कोरिन तुम्हारा मंदिर में दुकान लगाने से मंदिर अशुद्ध होता है। सभी लोगों ने पप्पी व मेरी छाती पकड़ ली। हम लोगों ने विरोध किया तो सभी ने मिलकर पप्पी, किरन व मेरे साथ लात घूसों से मारने पीटने लगे और दुकान में रखा सामन तोड़कर फैंक दिया और धमकी दी कि दुवारा दुकान लगायी तो जान से मार देंगे। इस प्रकार उक्त साक्षी ने अपने बयान में परिवाद पत्र के कथनों का समर्थन किया है।

परिवादिनी मुकदमा की ओर से परिवादिनी साक्षी संख्या – 2 किरन को धारा–202 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रस्तुत किया है। उक्त साक्षी ने शपथ पूर्वक कथन किया है कि दिनांक 18.03.2018 को समय लगभग 10 या 10.30 बजे की घटना है। नरेन्द्र कुमार शुक्ला, अशोक कुमार द्विवेदी, प्रमोद द्विवेदी, शिव शंकर अग्निहोत्री, विवेक कुमार शुक्ला, अनुप अवस्थी व श्रीमती कृष्णदेवी, पप्पी , शिखा की दुकान पर आये वे शराब के नशे में थे। मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। मना करने पर उपरोक्त लोग पूर्व की मांग पूरी न होने पर पप्पी के साथ छेडछाड करने लगे और कहा कि कोरिन तेरे बहुत दिमाग खराब है। सभी लोग दुकान का सामन फैंकने लगे। और हम लोगों के साथ छेड़छाड करने लगे। इस प्रकार साक्षी ने अपने साक्ष्य में परिवाद पत्र के कथनों का समर्थन किया है।

परिवादिनी मुकदमा की ओर से परिवादिनी साक्षी संख्या–3 जय करन को धारा–202 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रस्तुत किया है। उक्त साक्षी ने शपथ पूर्वक कथन किया है कि दिनांक 18.03.2018 की घटना है। मुक्ता देवी मंदिर में मौजूद था। उस दिन नरेन्द्र कुमार , अशोक कमार, प्रमोद कुमार, शिव शंकर, विवेक कुमार, अवधेश , अनूप अवथी शराब के नशे में पप्पी , किरन व शिखा विशातखाने की दुकान थी। दुकान पर जाकर मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। पप्पी के विरोध करने पर उपरोक्त सभी लोग जाति सूचक गालिया साली कोरिन कहते हुए मारा पीटा व छेडछाड़ तथा उसकी दुकान का सामन सम्पूर्ण तोडकर फैंक दिया । इस प्रकार परिवादिनी साक्षी ने अपने साक्ष्य में परिवाद पत्र के कथनों का समर्थन किया है।

इस प्रकार परिवादिनी व साक्षीगण के शपथ पूर्वक बयान से जाँच में यह प्रतीत हो रहा है कि विपक्षीगण नरेन्द्र कुमार शुक्ला, अशोक कुमार द्विवेदी, प्रमोद कुमार द्विवेदी, शिव शंकर

अग्निहोत्री, विवेक कुमार शुक्ला, अवधेश द्विवेदी, अनुप अवस्थी द्वारा घटना दिनांक व तिथि को मां मुक्तेश्वरी प्रांगड में परिवादिनी व अन्य परीक्षित संख्या–1 व 2 जिनके द्वारा दुकानें मंदिर प्रांगड में की गयी है , के दुकान की सामग्री नष्ट किया गया उन्हें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया गया कि तुम लोगों के कारण मंदिर अपवित्र हो गया है। उनके साथ अश्लील छेड़खानी की गयी व जान माल की धमकी दी गयी है। प्रथम दृष्टया अंतर्गत धारा –323, 354 504,506, 427 भा.दं.सं. के साथ धारा 3(1) (ध) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का अपराध विपक्षीगण /अभियुक्तगण के विरूद्ध नरेन्द्र कुमार शुक्ला, अशोक कुमार द्विवेदी, प्रमोद कुमार द्विवेदी, शिव शंकर अग्निहोत्री, विवेक कुमार शुक्ला, अवधेश द्विवेदी, अनुप अवस्थी गठित हो रहा है जिसके लिए अभियुक्तगण तलब किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

विपक्षीगण/ अभियुक्तगण को नरेन्द्र कुमार शुक्ला, अशोक कुमार द्विवेदी, प्रमोद कुमार द्विवेदी, शिव शंकर अग्निहोत्री, विवेक कुमार शुक्ला, अवधेश द्विवेदी एवं अनुप अवस्थी अंतर्गत धारा– 323, 354 504,506, 427 भा.दं.सं. एवं धारा 3(1) (ध)अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अपराध में जरिये समन तलब किया जाता है। परिवादिनी मुकदमा आवश्यक पैरवी एक सप्ताह में अंदर करे। पत्रावली दिनांक 12.03.2021 को वास्ते हाजिरी मुल्जिमान पेश हो।

(अखिलेश कुमार पाठक)
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश,अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम , कानपुर देहात।